

**HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR**

Endorsement no. B/1872  
III-6-4/2010

Jabalpur, dated 14/03/2023

Copy of the notification (s) of the Government of M.P. 735/21-B(1)/2023 dated 24.02.2023 along with Amended Notification No. 735/21-B(1)/2023 dated 03.03.2023 in respect of appointment of Special Judges u/s 22(1) of the NIA Act, 2008 at Sheopur and Mandleshwar is forwarded to;

1. The Principal Secretary, Government of M.P., Department of Law & Legislative Affairs, Bhopal for information and necessary action;
2. P.S. to the Registrar General, Principal Registrar (Judicial), Principal Registrar (Vigilance) and Principal Registrar (Examination & ILR) High Court of Madhya Pradesh Jabalpur for information and necessary action;
3. The Principal District and Sessions Judges, Sheopur and Mandleshwar for information and necessary action with request that the notification may kindly brought to the knowledge of the concerned Judge also;
4. District Judge, (Inspection), Jabalpur, Indore and Gwalior for information and necessary action;
5. The Principal Registrar, Bench at Indore and Gwalior High Court of M.P., Jabalpur for information;
6. The Director, Madhya Pradesh State Judicial Academy for information;
7. The Member Secretary, Madhya Pradesh State Legal Services Authority, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
8. The Registrar (Judicial-I), (Judicial-II), (Administration), (Vigilance), (Inspection & Litigation), (Examination and Labour Judiciary) for information;
9. The Registrar (Confdl.) and the Administrative Officer, Checker Section, High Court of M.P., Jabalpur for information;

  
(RUPAM VEDI)

REGISTRAR (Works & Infrastructure)

मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 24/2/2023

फा.क्रमांक 735/21-ब(एक)/2023,- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब(1) 3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 37 और 44 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

सारणी

क्रं.	जिले का नाम	विशेष न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम
(1)	(2)	(3)
37	श्योपुर	श्री लीलाधर सोलंकी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, श्योपुर
44	मण्डलेश्वर	श्री भगवानदास राठौर, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर।।

2. ये संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

NOTIFICATION

F-No. 735/21(B-I)/2023,-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the state Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this department's notification F-No. B(1)3476-2013, dated 11<sup>th</sup> September, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 20<sup>th</sup> September, 2013, Namely:-

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial number 37 and 44 and entries relating thereto, the following serial numbers and entry relating thereto shall be substituted, namely:-

Registrar General  
High Court of M.P.  
Jabalpur  
24 FEB 2023  
Reg. (DE)

A/C (checkes)  
28/02/23  
Reg (w&I)

TABLE

S.No.	Name of District	Name and Designation of Special Judge
(1)	(2)	(3)
37.	Sheopur	Shri Liladhar Solanki, Special Judge, SC/ST (POA) Act, Sheopur
44.	Mandleshwar	Shri Bhagwandas Rathore, II <sup>nd</sup> District and Additional Sessions Judge, Sheopur".

2. These amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

( बी.के. द्विवेदी )

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24/02/2023

पृ.क्र० 735/21-ब(एक)/2023,

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर,की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक C/581 और C/577/III-6-4/10, दिनांक 23.01.2023 के संदर्भ में,
2. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय,नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
3. संयुक्त सचिव (प्रशा.) विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) जैसलमेर हाऊस, नई दिल्ली
4. सचिव, म.प्र. शासन, गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, भोपाल,
5. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर एवं मंडलेश्वर मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय,भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं ( म.प्र. राजपत्र भाग-एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
7. शाखा प्रभारी, आई.टी.शाखा,विधि और विधायी कार्य विभाग,भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

( उमेश पाण्डेव )  
सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

संशोधित अधिसूचना


भोपाल, दिनांक 03/03/2023

फा.क्रमांक 735/21-ब(एक)/2023,— राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा विभागीय सगसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24.02.2023 में अंग्रेजी कॉलम में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

TABLE

S.No.	Name of District	Name and Designation of Special Judge
(1)	(2)	(3)
44.	Mandleshwar	Shri Bhagwandas Rathore, II <sup>nd</sup> District and Additional Sessions Judge, Mandleshwar ”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

  
\* (बी.के. द्विवेदी)  
प्रमुख सचिव,


मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ.क्र0 735/21-ब(एक)/2023,

भोपाल, दिनांक 03/03/2023

प्रतिलिपि:—

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर,की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक C/581 और C/577/III-6-4/10, दिनांक 23.01.2023 के संदर्भ में,
2. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
3. संयुक्त सचिव (प्रशा.) विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) जैसलमेर हाऊस, नई दिल्ली
4. सचिव, म.प्र. शासन, गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, भोपाल,
5. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर एवं मंडलेश्वर मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं ( म.प्र. राजपत्र भाग-एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
7. शाखा प्रभारी, आई.टी.शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

  
\* (उमेश पोंडवरे)  
सचिव,

01- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग